

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी  
पीठासीन अधिकारी—श्री रवि वर्मा

तारीख रजू 04/07/2018

करण संख्या 05/18

—सायल(प्रार्थी)

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर।

बनाम

श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री शिवनारायण जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती, मिर्जापुर थाना सदर,  
गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

—गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975


निर्णय

दिनांक—22.04.24

पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री शिवनारायण जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती, मिर्जापुर, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरुद्ध पुलिस थाना गंगापुर सिटी में निम्न अभियोग पंजीवद्ध होना बताया है।

क्र.स.	मु0 नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	139/14	03.07.14	13 RPGO	80	15.07.14	100 रू0 जुर्माना
2	167/14	01.08.14	341, 323 ता0हि0	104	18.8.14	पेन्डिंग कोर्ट
3	64/15	10.4.15	13 RPGO	36	15.4.15	200 रू0 जुर्माना

उक्त पंजीवद्ध आपराधिक प्रकरणों में बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा गैरसायल को 2 बार राजस्थान सार्वजनिक द्युत आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है, गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।



*[Signature]*  
अतिरिक्त जिला दण्डनायक एवं  
अतिरिक्त जिला माजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

अभियोग पत्र के साथ तालिका में अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की हैं।


अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल जरिये अभिगापक व असातन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना सदर, गंगापुर सिटी में 3 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 100 एवं 200 ₹ के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षों से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाव लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आतंक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब में अंकित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण सन् 2016 से विचाराधीन है। गैरसायल जब मुकदमें दर्ज हुए उस समय गैरसायल नासमझ था। गैरसायल अब सुधर चुका है एवं गैरसायल का वर्तमान में किसी भी बदमाश से सम्पर्क नहीं है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर, गंगापुर सिटी में 3 मुकदमें दर्ज हैं। जिसमें 2 मुकदमों में गैरसायल को 100 एवं 200 ₹ के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित करने की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि:-

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 2 अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 2 मुकदमों में 100 एवं 200 ₹ के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृत्तियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित हैं। जो थाना हाजा एवं गंगापुर सिटी क्षेत्र जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।


  
अतिरिक्त जिला सहायक एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
गंगापुर सिटी

3. गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित आपराधिक कृत्य करने में संलिप्त है।

लिहाजा

श्री रवि वर्मा, अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी गैरसायल श्री चन्द्रमोहन पुत्र श्री शिवनारायण जाति जाटव निवासी जाटव बस्ती, मिर्जापुर, गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित करता है एवं उसे 15 दिवस की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय करौली रहने हेतु थानाधिकारी कुडगांव को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.04.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( रवि वर्मा )  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
गंगापुर सिटी